क्या किसान बिल असल में मजदूर बिल है...

फरीदाबाद (ममो) पंजाब से शुरू हुए किसान आंदोलन को लेकर देश भर में सरकार को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन झेलने पड़ रहे हैं। वहीं कुछ न्यूज चैनलों पर यह भी दिखाया जा रहा है की इस आंदोलन का समर्थन करने वाले किसानों के नाम पर माओवादी, खालिस्तानी, नक्सलवादी इत्यादि इत्यादि हैं। दो फाड़ हो चुके मीडिया ने देश को भी दो फाड़ कर छोड़ दिया है। किसान आंदोलन को लेकर मीडिया के धड़ों ने अलग-अलग नजरिये से रिपोर्टिंग की और नए-नए तर्क प्रस्तुत किए। कुछ सतही तर्कों को छोड़ दें तो किसान आंदोलन को सिर्फ बड़े किसानों, आढ़तियों और राजनीति से प्रेरित आंदोलन करने वाले वामपंथी लोगों का आंदोलन साबित करने का प्रयास सोशल मीडिया पर भी जोर शोर से चला। अंत में लगभग दो तर्कों पर अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने का काम सरकार समर्थित मीडिया, सोशल मीडिया ने किया।

पहला तर्क जो शूरू से ही मीडिया में छाया वह यह की इस आंदोलन में केवल पंजाब के ही किसान शामिल हैं और उनमें भी अधिकतर आढ़ती है जो किसानों का खून चूसते हैं। साथ ही दावा किया गया, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है इसलिए वही इन सबके पीछे है। खैर, इस दावे को जड़ से उखड़ने में केवल तीन दिन लगे और हरियाणा के किसान, खाप पंचायतें, उत्तर प्रदेश के किसान, मध्यप्रदेश के किसान तक आंदोलन में कूद पड़े। ज्ञात हो की इन सभी जगहों पर भाजपा की सरकारें हैं।

दूसरा तर्क जो अधिक मजबूती से पेश किया गया में दावा किया गया कि आंदोलन में केवल बड़े किसान और जमींदार ही शामिल हैं। इस दावे को काफी हवा दी गई और दिल्ली-एनसीआर के किसानों को इसमे नहीं शामिल होना एक मजबूत सबूत बना कर पेश किया गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के देहातों के गाँव सुनपेड़, साहुपुरा एवं दीघ गावों में किसानों से बात कर मजदूर मोर्चा ने इस दावे की जमीनी पड़ताल की।

सुनपेड़ व दीघ गाँव से गुजरने वाली सड़क के एन किनारे ताश की बाजी जमाए किसानों में बीड़ी के कश खींचने की जैसे होड सी लगी हुई थी। ठंड से बचने के लिए जलाए गए अलाव से अधिक धुँआ बीड़ी के कशो से निकल रहा था। किसान आंदोलन में आप सब लोग नहीं गए, इसपर सभी ने कहा, गए हैं एक दो ट्रेक्टर ले के गाँव के बड़े जमींदार, हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस आंदोलन से।

68 वर्षीय रामबीर शर्मा ने बातचीत की बागडोर अपने हाथ लेते हुए विस्तार पूर्वक किसान आंदोलन में उन लोगों के न जाने और इस तर्क कि इस आंदोलन में केवल बड़े किसान या आढ़ती ही शामिल हैं की भरपूर व्याख्या की। रामबीर ने कहा कि कुछ हद तक यह तर्क सही है कि ये आंदोलन बड़े किसानों का आंदोलन है पर यह कहना कि सिर्फ बड़े किसानों का आंदोलन है सरासर गलत है। दिल्ली एन सी आर के पास रहने वाला किसान एक तो वैसा किसान नहीं जो किसानी के भरोसे अपना जीवन बसर करता हो। सरकार से अपनी जमीनों के मोटे मुआवजे लेने के बाद फरीदाबाद, गुड़गाँव, नोएडा के किसानों के पास खेती अब केवल अपने शौक की चीज रह गई है। कुछ गाँव में किसानी जिंदा है पर मंडी मर चुकी हैं। अब सवाल यदि यह है कि क्यों छोटा किसान आंदोलन में नहीं है तो उसका जवाब है कि छोटा किसान भी बिल्कुल इस आंदोलन में शामिल है पर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के आस-पास के किसान उस संख्या में शामिल नहीं जिसमे अन्य इलाकों के हैं। इसके पुख्ता कारण है, आज फरीदाबाद में बड़े जमींदारों की संख्या न के बराबर है, दो या तीन किले के मालिक किसान इतना उत्पादन नहीं करते जो मंडी के भरोसे बेचें। मंडी में भाव जो मर्जी लगा लो पर जब सरकार खरीदेगी ही नहीं तो फिर भाव तो बनिया जो लगायेगा वही मानना पड़ेगा। न यहां मंडी को कोई खास रोल बचा है न ही किसानी का। जो हुआ घर में ही खा पी लिया या बनिए को बेच कर पार हुए। अब किसान के बच्चे शहरों की फैक्टरियों में मजदूरी करते हैं। आज यदि आंदोलन में जा कर बैठ गए तो रोज के पैसे मालिक काट लेगा और मिलना कुछ नहीं तो क्यों कर कोई जाएगा आंदोलन में। हां दूध दही जरूर भिजवा देते हैं भाईयों को।

45 वर्षीय सुनपेड़ के जाट किसान सतबीर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आंदोलन को हमारा समर्थन ही नहीं। जो लोग ये बात कहते हैं वे सब दुष्प्रचार के नाते ही यह बातें कह रहे हैं। हम आंदोलन को पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि हम ही तो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। यदि वे आज नहीं लड़े तो उनकी दशा हमारे जैसे हो जाएगी। यदि हम भी अपने हुकों के लिए कभी सरकार से ऐसे ही लड़े होते तो आज हम असल मायने में जमींदार होते जबकि अब हम केवल मजदूर बन कर रह गए हैं और मजदूर किसी आंदोलन में जा कर अपनी नौकरी गंवाने का जोखिम नहीं ले सकता। आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए सबने कहा कि जिन इलाकों के किसानों की आज भी किसानी ही मुख्य रोजगार है वे सब आंदोलन में शामिल हैं। उनके खुद के रिश्तेदार आंदोलन में आए हैं और उनके सहयोग के लिए हमारे गाँव से दूध व अन्य जरूरत का सामान भेज जा रहा है, बेशक।

सेना से रिटायर हो चुके रामबीर का मानना है कि फरीदाबाद में किसानी न बची हो पर हम जानते हैं किस प्रकार सरकार ने मंडी रहते जब किसानी बेच डाली तो इन तीन नियमों के बाद तो कहीं कोई किसान नहीं बचेगा। सारी बातों का निचोड़ एक वाक्य में निकलते हुए रामबीर ने आज के भारत को नागा कर दिया। उन्होंने कहा मीडिया अब नेता हो गई है जिसका भरोसा नहीं करता कोई बस गुणगान बचा है वरना क्या मीडिया नहीं देख सकता कि सरकार को अब पूंजीपति वर्ग के लिए किसान नहीं किसान की जमीन और उसपर काम करने के लिए सस्ते मजदूर चाहिए। बस यही है तीन किसान बिल।

जनता के हथियार आरटीआई को ध्वस्त करने पर उतारू मोदी सरकार

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद : बहुत तकलीफ़ की बात है कि एक तरफ़ पिछले वर्ष 2019 में भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कष्टदायद सुधार किए। इस अधिनियम को बहुत कमजोर बना दिया गया। अब वर्तमान भाजपा सरकार के समय से ही लोकपाल और लोकायुक्त कानूनों का ही उचित अनुपालन नहीं किया गया किन्तु अनेकों अनेक अधिनियम एवं संवैधानिक संस्थाओं को भी कमजोर किया गया और उनके नियम अधिनियमों के पालन करने में भी जान बूझ कर ढीलता दिखाई जा रही है।

जहां तक सूचना अधिकार अधिनियम के हरियाणा में पालन का सवाल है व निम्नलिखित बिंदुओं से परिमाणित एवं प्रतिलक्षित होता है। अधिकतर आरटीआई के प्रार्थना पत्रों पर या तो सूचना ही नहीं दी जाती या बहुत देर से दी जाती है और यह गोल-मोल और गलत दी जाती है।

परिणामस्वरूप काफ़ी आरटीआई के कार्यकर्ता मजबूर होकर चुप बैठ जाते हैं और बाकी कार्यकर्ता प्रथम अपील दायर करते हैं।

अधिकतर प्रथम अपिलों में अपीलीय अधिकारी का भी यही हाल है या तो अपीलों पर बहुत दिनों तक फैसले ही नहीं करते और यदि फैसले करते भी हैं तो जन सूचना अधिकारियों के फैसलों का समर्थन करते हैं।

परिणामस्वरूप कुछ गिने-चुने ही कार्यकर्ता द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के यहां दर्ज कराते हैं।

हरियाणा में राज्य सूचना आयोग का हाल बहुत बुरा है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार सूचना आयोग को प्रतिवर्ष सरकारी विभाग अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष अपने सूचना के कार्यकलापों के संबन्ध में विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट राज्य सूचना आयोग को भेजनी होती है। दुर्भाग्य से सूचना आयोग अपना यह दायित्व नहीं निभा रहे। जबकि सरकारी विभागों व प्राधिकरणों से उपलब्ध कराई गयी तमाम सूचनाओं का संकलन करके आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।

आश्चर्य और आचम्बय: की बात है कि राज्य सूचना आयोग वर्ष 2016 से लेकर आज तक अपनी वार्षिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की और सरकार ने भी आयोग के खिलाफ़ कोई सख्त कार्यवाही नहीं की। इसी प्रकार आयोग ने भी सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ़ भी कोई कार्यवाही नहीं की। सारे प्रदेश चाहे वो सरकार हो अथवा सूचना आयोग अथवा सरकारी विभागों व सार्वजनिक प्राधिकरण हो फीसदी का माहौल है। लापरवाही है और गैर जिम्मेवार है।

वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल पूर्व रिटायर्ड डीजीपी अप्रैल 2017 में नियुक्त हुए थे। इन पिछले चार वर्षों में सिंघल जी के कार्यकाल में सूचना आयोग की हालात बद् से बद्तर होती जा रही है। द्वितीय अपील के निपटारन की हालत यह है कि बहुत बड़ी संख्या में द्वितीय अपील विचाराधीन पड़ी हैऔर जैसा कि पहले कभी नहीं होता था। अपीलों की सुनवाई की तिथियों को बार-बार एडजॉर्न कर दिया जाता है और कुछ मामलों में तो एडजर्नमेंट आठ-आठ, दस-दस महीनों तक कर दिया जाता है। अधिकतर मामले में एडजर्नमेंट का कारण भी नहीं बताया जाता।

यहां यह बताना भी आवश्यक है कि न्यायालयों में भी जब भी सुनवाई की एडजर्नमेंट किए जाते हैं तो उसके लिए लिखित कारण बताना आवश्यक है। न्याय प्रक्रिया में यह आवश्यक होता है यदि कोई प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसका निस्तारण प्राथमिक आधार पर आवश्यक होता है किन्तु सूचना आयोग में इस प्रकार के प्रार्थनापत्रों का संज्ञान ही नहीं लिया जाता, उत्तर देना तो दूर की बात। हरियाणा सूचना आयोग ने अभी अपनी मर्जी से यह नियम बना लिया है कि चाहे सूचना आयोग से एपरेंट एरर इन लॉ ऑर फैक्ट्स सूचना आयोग द्वारा अपीलों पर फैसले करने में चाहे कानून तथ्यों में स्पष्ट त्रुटी हो जाए तब भी अपील कर्ता के स्पष्ट रूप से बताने पर भी ऐसे निर्णय का सूचना आयुक्त आलोचना नहीं करते हैं। हालांकि सूचना अधिनियम में किसी भी स्थान पर यह नहीं लिखा है कि सूचना आयुक्तों को रिव्यू करने की इजाजत नहीं है और पिछले वर्षों में सूचना आयुक्त अपने निर्णयों का रिव्यू करते रहे हैं। उसके उदाहरण उपलब्ध है। लेकिन यह सब बताने के पश्चात-भी अब सूचना आयुक्त रिव्यू पिटीशन स्वीकार नहीं करते और न ही इसका कोई कारण स्पष्ट करते हैं।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 20(1) में स्पष्ट प्रवधान है कि सूचना देने में निर्धारित सीमा से अधिक देरी करने पर प्रत्येक दिन की देरी पर 250 रुपये के हिसाब से 25000/-तक जुर्माना किए जाना होता है किन्तु अपनी मर्जी से प्रदयुक्त शक्ति अथवा प्रावधान के सूचना आयुक्त बहुत कम जुर्माना लगा देते हैं।

अपीलकर्ता उन्हें याद करते हैं कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार कम जुर्माना नहीं लगाया जा सकता किन्तु आयुक्त इसका कोई उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझते।

इसी प्रकार सूचना आयुक्तों को जन सूचना अधिकारियों के खिलाफ़ विभागों में कार्यवाही करने की सिफ़ारिश करने का अधिकार प्राप्त है किन्तु सूचना आयुक्त इस अधिकार का उपयोग करते ही नहीं। यही नहीं अपीलकर्ता चाहे जितने समय तक सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे हो किन्तु साधारणतया अपीलकर्ताओं को कम्पनसेशन तो दी ही जाती या बहुत कम दी जाती है।

आरटीआई एक्टिविस्ट एंड सिटिजन वॉयस एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने श्री यशपाल सिंघल से 16/6/2017 को मीटिंग कर 18 बिंदुओं पर वार्ता की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इन पर शीघ्र कार्यवाही करेंगे किन्तु चार वर्ष बितने पर भी और अनेकों पत्र बार-बार भेजने पर भी उन पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई। सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार सूचना आयोग की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम के सभी प्रवधानों का सभी सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक प्राधिकरण का उचित रूप से पालन करें। खासतौर से धारा 4 व 26 का सख्ती से पालन करें किन्तु वास्तविकता यह है कि अधिकतर सरकारी विभाग सार्वजनिक प्राधिकरण इन प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे और आरयोग भी निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठा है। आगामी अंक में आरटीआई एक्टिविस्ट एंड सिटिजन वॉयस एसोसिएशन के संरक्षक डॉ. ब्रह्मदत्त के इस सम्बन्ध में प्रयासों एवं सूचना आयोग की असफ़लताओं, निकम्मा और नकारापन के बारे में निश्चित जानकारियां देंगे।

अत्यधिक लोकतंत्र : मोदी सरकार की सड़ी सोच

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

मोदी सरकार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कांत ने पिछले दिनों कहा कि भारत में अत्यधिक लोकतंत्र के चलते चीन के मुकाबले में कहीं नहीं ठहर सकते। कांत मोदी के विशेष चहेते अफ़सरशाहों में से एक हैं जिन्हें मोदी ने नीति आयोग सौंप रखा है जिसका काम राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाना है। बीते छः साल के मोदी शासन में बनी तमाम बेहूदा नीतियों से जिस तरह से देश की तबाही हो रही है, उसके लिये मोदी को दोषी न ठहरा कर देश में अत्यधिक लोकतंत्र को दोषी ठहराया जा रहा है। कहने को बेशक ये शब्द कांत के मुंह से कहे गये हैं लेकिन वास्तव में ये शब्द मोदी के मन की बात बता रहे हैं। लेकिन ज्योंही इसकी आलोचना बढने लगी कांत ने अपनी बात वापस लेली।

अब देखने वाली बात यह है कि मोदी सरकार का यह अत्यधिक लोकतंत्र है कैसा और कहां है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि दिवाली पर पटाखे एक निर्धारित समय तक ही चलायेंगे लेकिन कुछ खास समझ के लोगों ने पूरी रात सुप्रीम कोर्ट के सामने जोरदार धमाकेबाज़ी की, यही तो है लोकतंत्र। जिसका जब जी चाहे मुहल्ले की सड़क पर तम्बू गाड़ कर भजन गाने लगे, माता की चौकी करने लगे, उसे पूरी छूट है। इसके चलते चाहे कितने ही लोगों का रास्ता बंद हो जाय तो होता रहे, उसे तो पूरी आजादी है लोकतंत्र में। इतने से भी तसल्ली न होती हो तो दो-चार वाहन सजा कर शहर की सड़कों पर नगर कीर्तन करने लगे तो कोई रोकने वाला नहीं क्योंकि देश आजाद है। सड़कों-बाजारों में जहां-तहां वाहन खड़े करके या सामान रख कर यातायात को बाधित कर दिया जाये तो शासन-प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होती क्योंकि लोकतंत्र है।

इन सबसे बढकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा चाहे जितना भ्रष्टाचार किया जाय, खुली छूट है, कोई पकड़ने वाला नहीं, हां यदि गलती से कभी किसी ने पकड़ भी लिया तो विधायक सांसद मंत्री आदि उसके बचाव में आ खड़े होंगे क्योंकि लोकतंत्र में उसके भी तो वोट हैं। उक्त सारा लोकतंत्र जनता की भलाई के लिये बल्कि ऐसी-तैसी करने में इस्तेमाल हो रहा है। वास्तव में यह लोकतंत्र का दुरुपयोग है जिसे शासन-प्रशासन द्वारा रोका जाना चाहिये था, परन्तु उसे न रोक कर सरकारी नेतागण जनता को खुश करने का भ्रम पालते हैं। दूसरी ओर जहां जनता के नागरिक अधिकारों का सवाल आता है वहां सरकार पूरा दमन चक्र चला कर तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। जो भी कोइ शोषण एवं दमन के विरुद्ध आवाज़ उठाता है उसे देशद्रोही बता कर जेल भेजा जा रहा है। मज़दूरों व किसानों के तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। अब तो ब्याह-शादी जैसे मौलिक अधिकारों पर भी सरकारी पहरा बैठा दिया गया है। विचारों की अभिव्यक्ति करने वाले सैंकड़ों-हजारों लेखक एवं बुद्धिजीवी जेलों में बंद कर दिये गये हैं; कइयों की हत्या कर दी गयी है।

इसके बावजूद अत्यधिक लोकतंत्र की बात कहने का मतलब सिर्फ़ यह रह जाता है कि यह जो संसदीय प्रणाली व न्यायपालिका का ढोंग है इसे भी समाप्त करके सब कुछ मोदी के माध्यम से संघ के सुपुर्द कर दिया जाय। फ़िर न कोई चुनाव का झंझट रहेगा और न किसी न्यायपालिका को साधने के लिये कोई यतन करने की जरूरत रहेगी। बस, राजशाही शैली में मोदी का डंडा घूमता नज़र आयेगा।